भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2227

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवा पैकेज

2227. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेषकर राजस्थान और दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के विस्तारित पैकेज के साथ पूरी तरह से कार्य कर रहे केंद्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2022 से अब तक देश में, विशेषकर राजस्थान और दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, राज्यवार कितने उप-स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का एएएम के रूप में उन्नयन किया गया है;

(ग) क्या विशेषकर दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इन केंद्रों को स्थापित करने और सुदृढ़ करने में जनजातीय और वंचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार एएएम में चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों, अनिवार्य दवाओं, नैदानिक सुविधाओं और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना कार्यान्वित कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल पर दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार देश में उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके कुल 1,86,298 एएएम संचालित किए गए हैं, जिनमें 178 जनजातीय जिलों में स्थित 31,347 एएएम शामिल हैं। राजस्थान सहित देश भर में संचालित एएएम की

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है। राज्य द्वारा दी गई सूचना- के अनुसार, राजस्थान के दौसा संसदीय क्षेत्र में 368 एएएम कार्यशील हैं।

ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के 12 पैकेज क्रमिक रूप से प्रदान करते हैं, जिनमें प्रजनन और बाल परिचर्या सेवाएं, संचारी रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी), उपशामक परिचर्या और वृद्धजन परिचर्या, सामान्य मानसिक विकार परिचर्या, तंत्रिका संबंधी स्थितियां (मिर्गी, मनोभ्रंश) और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों का प्रबंधन (तंबाकू, शराब, नशीले पदार्थ), मुख स्वास्थ्य, कान,नाक,गला देखभाल और बुनियादी आपातकालीन देखभाल शामिल हैं।

सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध संसाधनों में भवन, मानव संसाधन, आवश्यक दवाएं और निदान उपकरण, आईटी उपकरण और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल हैं। एसएचसी-एएएम के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में उस क्षेत्र-विशेष में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) और बहुउद्देशीय कर्मी-पुरुष के साथ-साथ आशाकर्मियों की नियुक्ति का प्रावधान है। पीएचसी-एएएम के लिए, मानदंडों में चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन की नियुक्ति का प्रावधान है। निःशुल्क औषधि एवं निःशुल्क निदान सेवा पहल के तहत, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसएचसी-एएएम स्तर पर 113 दवाओं और 14 निदान परीक्षणों तथा पीएचसी-एएएम स्तर पर 179 दवाओं और 63 परीक्षणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

देश भर में सभी कार्यशील एएएम केंद्रों पर उपलब्ध टेली परामर्श सेवाएं, जिनमें जनजातीय और वंचित क्षेत्र भी शामिल हैं, लोगों को उनके घरों के पास विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, जिससे वास्तविक पहुंच संबंधी समस्याओं, सेवा प्रदाताओं की कमी और सतत परिचर्या को सुलभ बनाने में मदद मिलती है।

अनुलग्नक

दिनांक 30.06.2026 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कार्यशील एएएम की संख्या:

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यशील आयुष्मान आरोग्य मन्दिरों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	129
2	आंध्र प्रदेश	11,873
3	अरुणाचल प्रदेश	510
4	असम	4,966
5	बिहार	12,444
6	चंडीगढ़	60
7	छत्तीसगढ़	5,898
8	दिल्ली	389
9	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	88
10	गोवा	310
11	गुजरात	10,625
12	हरियाणा	3,272
13	हिमाचल प्रदेश	2,845
14	जम्मू एवं कश्मीर	3,173
15	झारखंड	4,181
16	कर्नाटक	10,137
17	केरल	7,207
18	लद्दाख	321
19	लक्षद्वीप	13
20	मध्य प्रदेश	12,775
21	महाराष्ट्र	13,457
22	मणिपुर	420
23	मेघालय	641
24	मिजोरम	416
25	नागालैंड	485
26	ओडिशा	7,379
27	पुदुचेरी	133
28	पंजाब	3,322
29	राजस्थान	14,494
30	सिक्किम	183
31	तमिलनाडु	8,454
32	तेलंगाना	5,038
33	त्रिपुरा	1,133
34	उत्तर प्रदेश	23,646
35	उत्तराखंड	2,364
36	पश्चिम बंगाल	13,517
	कुल	**1,86,298**
